न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2021 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2021/2

अनवान

1. श्रीमती मनोरमा मेहता पत्नी स्व. श्री जेठालाल मेहता, निवासी–शिल्पी मोहल्ला, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री छगनलाल त्रिवेदी पुत्र श्री भवानीशंकर त्रिवेदी निवासी–शिल्पी मोहल्ला, ऋषभदेव, जिला–उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री मोहन जोशी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 05.02.2003

* निर्णय *

दिनांक– 30-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.02.2003 को आबादी भूमि का बापी पट्टा (स्वयं के पुराने घरों का विनियमितिकरण) जारी करवाया। उक्त बापी पट्टा सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से मिसल नंबर 85/2002 द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्वयं के पुराने मकान बने होने व पुश्तैनी मकान का किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज न होने पर ग्राम पंचायत द्वारा बापी पट्टा आवेदक के आवेदन पर नियमानुसार दिया जाता है। विपक्षी संख्या–1 द्वारा बापी पट्टे हेतु विपक्षी संख्या–2 के यहां आवेदन किया गया, उक्त आवेदन पत्र मे कहीं भी मकान की लम्बाई चौड़ाई बाबत् उल्लेख नही किया गया है। उसी प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर सम्पूर्ण मिसल मे भी विपक्षी संख्या 1 के मकान की लम्बाई चौड़ाई एवं मकान के वर्गफिट का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया, जिसमे उक्त मकान समचौरस नहीं होने से अलग अलग नाम एवं नक्शे के आधार पर पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त पट्टे मे विपक्षी संख्या 1 के मकान के पीछे एक भूमि है एवं पड़त भूमि का पट्टा भी मकान के साथ ही जारी कर दिया है, अर्थात विपक्षी संख्या 2 को आम रास्ते की भूमि का एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:46:00 IST
Reason: SetAttested

पड़त भूमि का पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और न ही 1500 वर्गफीट से ऊपर के बापी पट्टे के मकान बाबत् पट्टे जारी करने का अधिकार हैं। अगर बापी पट्टे के मकान का क्षेत्रफल अधिक है तो उक्त पट्टे का जिला परिषद से अनुमोदन कराकर ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव को बापी पट्टे के अनुसार मकान का ही पट्टा जारी करना था। विपक्षी संख्या 1 के पड़ोस में निगरानीकर्ता के पति का मकान अंकन है। निगरानीकर्ता के पति का स्वर्गवास हो जाने से निगरानीकर्ता स्वयं ही अपने मकान की एकमात्र स्वामी है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी उक्त पट्टे में मकान के नाम के उल्लेख के स्थान पर कॉलम खाली है और उस स्थान पर यह अंकित किया है कि लम्बाई एवं चौड़ाई पीछे नक्शें में दर्ज है। पट्टे के पीछे जो क्षेत्रफल पड़त भूमि का एवं मकान का अंकित किया है, वह ग्राम पंचायत ने बिना किसी मौका पर्चा के विपक्षी संख्या 1 के कहने मात्र से ही क्षेत्रफल अंकित कर दिया, जो वास्तविक मौके की स्थिति से विरोधाभाषी है। उक्त पट्टे के संबध में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली में नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है जो काबिल निरस्त के है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 05.02.2003 को जारी बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री मोहन जोशी अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर प्रांरभिक आपत्ति सहित जवाब प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी बापी पट्टे के विरूद्ध धारा 61, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं नियम 166, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानानुसार पंचायत समिति मे प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं कर धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत करीब 17–18 वर्ष पश्चात् मयाद बाहर नियम विरूद्ध निगरानी पेश की है, जो पोषणीय न होने से गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं। विधि मे जहां अपील के प्रावधान दिये गये है, वहां निगरानी पोषणनीय नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 के मकान व मकान से सटमा लगी हुई पड़त भूमि का विपक्षी संख्या 2 द्वारा आपत्ति पत्र जारी कर चस्पा करवाकर कोई आपत्ति पेश नही होने पर विपक्षी संख्या 1 के नाम विधिनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 क अन्तर्गत पुराने गृह के विनियमितिकरण क प्रावधान अनुसार बापी पट्टा जारी करने का दिनांक 05.02.2003 को आदेश पारित कर बापी पट्टे के पीछे नक्शे में अंकित माप का विपक्षी संख्या 1 को मकान व पड़त भूमि का बापी पट्टा बिल्कुल सही जारी किया गया। बापी पट्टा मनमकसुद तरीके से जारी नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 अल्प शिक्षित, अनभिज्ञ एवं अनजान होने से प्रार्थना पत्र में मकान की लम्बाई, चौड़ाई अंकित नहीं किये जाने से विधि अनुसार जारी पट्टा कानूनन खारिज नही किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के मकान का मौका देखकर मौके पर विपक्षी संख्या 1 के मकान की जितनो भूमि थी उसका माप पट्टे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:46:00 IST
Reason: SelfAttested

पीछे नक्शे मे अंकित कर पट्टा जारी किया है, इसलिए विपक्षी संख्या 1 के मकान व मकान से लगी हुई मकान की पड़त भूमि का बापी पट्टा नियम विरूद्ध नही होकर नियमानुसार जारी किया गया है। 6.5×13 फीट की पड़त भूमि विपक्षी संख्या 1 के मकान से लगी होकर कब्जे है, जो रास्ते की भूमि नही हैं। विपक्षी संख्या 1 के बाप दादाओं के समय से आज तक करीब 100 वर्षों से ज्यादा समय से विपक्षी संख्या 1 का पुराना मकान व मकान के फैलाव मे मकान से लगी हुई पड़त भूमि का बापी पट्टा मौका देखकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विधि अनुसार जारी किया गया है। नियम 157 मे यह प्रावधान नही किया गया है कि 1500 वर्गफीट भूमि से अधिक भूमि का बापी पट्टा जारी नही किया जा सकता है और न ही 1500 वर्गफीट भूमि से अधिक भूमि के जारी पट्टे का जिला परिषद से अनुमोदन करवाये जाने के कोई पावधान अंकित है। विपक्षी संख्या 1 का पट्टा विधि अनुसार जारी है। विपक्षी संख्या 1 का पट्टा निरस्त किये जाने से विपक्षी संख्या 1 को भारी क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी मे नही हो सकेगी और विपक्षी संख्या 1 बेघर हो जायेगा। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर विपक्षी 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 05.02.2003 को जारी बापी पट्टा को यथावत रखा जावें। प्रकरण मे ग्राम पंचायत ऋषभदेव से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी बापी पट्टा पड़त भूमि का होकर अवैध होना, पट्टे मे पुश्तैनी मकान बाबत् काई दस्तावेज न होना, पत्रावली मे मकान की लम्बाई एवं चौड़ाई अंकित न होना, 1500 वर्ग फीट से अधिक का पट्टा जारी होना, कथित भूमि रास्ते की होना, पड़त भूमि का बापी पट्टा देने का कोई प्रावधान न होना अवगत कराते हुए कथित पट्टे को निरस्त करने की मांग की। अपील के अतिरिक्त निगरानी भी पोषणीय होने के संबंध मे निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा खुशाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की प्रति न्यायिक दृष्टान्त के रूप मे प्रस्तुत की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, धारा 61 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं नियम 166 पंचायती राज नियम 1996 मे अपील के प्रावधान अंकित होना, अपील के प्रावधान होने पर निगरानी पोषणीय न होना, पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति पत्र जारी होना, नियमानुसार मौका निरीक्षण होना, पड़त भूमि का पट्टा नियमानुसार होना, कथित भूमि से लगी हुई भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का मकान बना होना, 1500 वर्ग फीट से अधिक की भूमि के पट्टे हेतु जिला परिषद अनुमोदन बाबत् कोई प्रावधान न होना अवगत कराया एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर बापी पट्टे को यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया। निगरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:46:00 IST
Reason: SelfAttested

पोषणीय न होने के संबंध मे विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

- आर.आर.टी. 2018–19 (Supp.) पृष्ठ 125
- डी.एन.जे. 2008(2) पृष्ठ 735

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली आदि अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त मूल पत्रावली संख्या 85/2002 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा पुराने मकान का बापी पट्टा चाहने बाबत् विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव मे प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2003 प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 85/2002 संधारित कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.02.2003 को बापी पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध आवेदन पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन एवं शपथ पत्र मे मकान की लम्बाई एवं चौड़ाई का कही भी उल्लेख नही किया है। वार्ड पंच एवं पड़ोसियों की तस्दीक, मकान के नजरी नक्शे मे भी मकान की लम्बाई एवं चौड़ाई का अभाव है। उक्त पत्रावली दिनांक 10.01.2003 को दायर होना एवं 20.02.2003 को फैसल होने का उल्लेख सरवरक पर किया गया है, किन्तु दायर वर्ष 2003 के बजाय 2002 दर्शाया जाकर पत्रावली संख्या 85/2002 संधारित होना बताया गया है। सरवरक पर फैसल दिनांक एवं आदेशिका पर फैसल दिनांक मे भिन्नता है। पत्रावली मे स्वयं के पुराने गृहों का विनियमितिकरण बाबत् बापी पट्टा दिनांक 05.02.2003 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया जाना पाया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 मे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि *''जहां व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि मे पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।''* विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे के पृष्ठाकिंत भाग पर उपलब्ध नक्शे से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा पड़त भूमि का जारी किया गया है, जिसमे कुछ भाग आम रास्ते का होना भी प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी बहस के दौरान पड़त भूमि का पट्टा जारी किया जाना स्वीकार किया है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 166 के प्रावधानानुसार पंचायत समिति मे उक्त अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए एवं जहां अपीलीय प्रावधान दिये गये ह वहा निगरानी पोषणीय नही है, किन्तु निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के परिपेक्ष्य मे निगरानी पोषणीय होना स्पष्ट है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण [illegible] होते है। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा पट्टे के संबंध मे कोई लिखित अथवा मौखिक कथन नहीं किया है। इस प्रकार समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित पट्टा त्रुटिपूर्ण होना स्पष्ट जाहिर होने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:46:00 IST
Reason: SelfAttested

ऐसे पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने योग्य पायी जाती है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा मिसल संख्या 85/2002 से विपक्षी संख्या 1 श्री छगनलाल पुत्र भवानीशंकर त्रिवेदी के पक्ष मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 157 के अन्तर्गत जारी बापी पट्टा दिनांक 05.02.2003 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज 30.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:46:00 IST
Reason: SelfAttested